न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) सिणधरी

पीठासीन अधिकारी :श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 655/2021

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिणधरी		पूनमाराम व अन्य

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 130,131,136 रा. भू. राज.एक्ट 1956

उपस्थिति–

1. राज.पैरोकार नायब तहसीलदार(उपखण्ड कार्यालय सिणधरी) प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री जोगराज पोटलिया अधिवक्ता विप्रार्थी सं. 1 (अपीलांट) व 2
3. शेष विप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

–: निर्णय:–

दिनांक–13.02.2025

संक्षेप. में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार सिणधरी द्वारा राजस्व ग्राम **पायला कला** पटवार मण्डल **पायला कला** तहसील सिणधरी की जमाबंदी संवत् 2076–2079 के अनुसार प्रस्तावित [illegible] मौके पर रास्ते के उपयोग में आ रही है.जिसे गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने [illegible] प्रकरण में बाद पक्षकारान की सुनवाई के भूमिधारक तहसीलदार [illegible] द्वारा [illegible] किये जाने पर राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र [illegible]/2003/पार्ट/04 [illegible] 10.08. 2016 एवं राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक:प. 3(2)राज–6/2021/पार्ट/91 दिनांक 30.9.2021 के अनुसरण में राजस्थान भू–राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:12:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 60 (एच) के तहत प्रस्तावित भूमि को निर्णय दिनांक 11.01.2022 के जरिये गैर मुमकीन रास्ता के रूप में दर्ज करते हुए तहसीलदार को राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने हेतु निर्देशित किया कि निजी खातेदारी की भूमि में से चालू स्थाई सार्वजनिक रास्ता सम्बन्धित निजी खातेदारी में रखते हुए नक्शे व जमाबंदी में पृथक से खसरा नम्बर दिया जाकर रास्ते के रकबे सहित किस्म गैर मुमकीन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये गये।

विप्रार्थी सं. 01 पुनमाराम द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त जोधपुर में दायर अपील सं79/2022 पूनमाराम बनाम हरचंदराम व अन्य में बाद सुनवाई अपने पारित निर्णय दिनांक 16.02.2023 के जरिये निर्देशित किया कि प्रकरण उपखण्ड अधिकारी सिणधरी को प्रतिप्रेषित कर कि अपीलाधीन आदेश में अंकित अपीलाटस् के उल्लेखित भूमि के संबंध में अपीलांट को अपना पक्ष रखे जाने तथा मौका जांच कर मौका फर्द पर उभयपक्ष की सुनवाई का पश्चात पर प्रकरण का निस्तारण करे।

माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त जोधपुर के उक्त निर्णय की पालना में रिमाण्ड प्रकरण पुनः उसी नम्बर पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान की तलबी जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस की गई। साथ ही तहसीलदार सिणधरी से मौका स्थिति तथ्यात्मक मोका जांच रिपोर्ट तलब की गई।

विप्रार्थी सं. 1 व 2 की तरफ से वकील श्री जोगराज पोटलिया तथा पैरोकार सरकार उपस्थित हुए।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विप्रार्थी सं. 1 व 2 के अधिवक्ता ने अपनी ओर से जवाब प्रस्तुत करते हुए अपनी बहस के कथनों में उल्लेखित किया कि प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत आवेदन के तथ्य सारहीन एवं मनगढ़त है, कि पटवारी पायलां कलां के द्वारा उक्त रास्ता को मात्र खसरा संख्या 616/2 को उनके खेत तक नही पहुचा कर उनके घर तक का कटाण करवाया गया है जबकि मौके पर ऐसा कोई मार्ग नही चल रहा है। जिसके सम्बन्ध में पटवारी के द्वारा कोई मौका रिपोर्ट मौतबिरान के रुबरु नही बनाई गयी है। इसके सम्बन्ध में माननीय तहसीलदार महोदय सिणधरी के द्वारा गलत रुप से प्रकरण बना कर पेश किया गया है। जो कदीमी रास्तें की श्रेणी में नही आनें से प्रकरण [illegible] कदीमी रास्ता प्रकरण आम जन के आने जाने व सार्वजनिक उपयोग [illegible] के लिये, जबकि यह प्रकरण मात्र एक खातेदार को [illegible] उनके घर तक मार्ग का फायदा पहुंचाने व उन्हे लाभान्वित करने के लिये [illegible] को तोड़–मरोड़ कर वास्तविकता से प्रतिकूल प्रकरण बना कर पेश किया है तथा पत्रावली में आदेश भी गलत आधारों पर पारित हुआ है। उक्त प्रकरण को बना कर मात्र एक खातेदार हरचन्दराम को लाभान्वित किया गया है

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:12:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

और उक्त खसरे में दुसरा में खातेदार हूं मेरा भी घर उक्त खसरे में है जहा पर मेरे घर तक किसी प्रकार का मार्ग नही पहुंचाया गया है। जबकि रास्ते में कटने वाला रकबा संयुक्त रुप से कटा है और फायदा एक पक्षकार को किया गया है। जबकि यह हमारा खेत जब पुनमाराम के खेत में कटाण करने से जुड़ गया था तो आगें हमारे खेत में से कटाण करने की आवश्यकता नही रहती है। खसरा संख्या 616/2 में हमारे हिस्से से जो रकबा काटा गया है जिसका कोई औचित्य नही होने से और उक्त कदीमी रास्ता व सार्वजनिक मार्ग व बारहमासी मार्ग नही होने से उक्त प्रकरण को निरस्त करने का आदेश फरमावें।

विप्रार्थीगण की बहस के सन्दर्भ में प्रार्थी के पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में अपने आवेदन के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि पूर्व में श्रीमान जिला कलक्टर बाड़मेर के पत्रांकःप.12()(1)राजस्व/2016/7205–40 दिनांक 10.10.2016 के द्वारा प्राप्त निर्देशों की अनुपालना में तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन किया है,कि राजस्व ग्राम **पायला कला**पटवार मण्डल **पायला कला** तहसील सिणधरी की जमाबंदी संवत् 2076–2079 के अनुसार प्रस्तावित निजी खातेदारी की भूमि जो मौके पर रास्ते के उपयोग में आ रही है,जिसे गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने के हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया। जिस पर पक्षकारान की विधिवत सुनवाई पश्चात् न्यायालय हाजा द्वारा प्रस्तावित नजरी नक्शा अनुसार मौके पर चलायमान बारहमासी रास्ता आमजन की भौतिक सुखाचार हेतु उपयोग में आने पर न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.01.2022 सही होने से यथावत रखे जाने के आदेश पारित किया जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन एवं विवेचन किया गया। माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त जोधपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 16.02.2023 में पारित तथ्यों पर पाया गया कि उभयपक्ष की विधिवत सुनवाई में विप्रार्थी सं. 1 व 2 ने अपनी ओर से जवाब प्रस्तुत करते हुए प्रस्तावित कदीमी रास्ता जो कि मौके पर सार्वजनिक रास्ते के रूप में उपयोग में नहीं आने से उसे निरस्त किये जाने के तथ्यों की पुष्टि तहसीलदार सिणधरी से प्राप्त मौका जांच रिपोर्ट दिनांक पत्रांक 3296 दिनांक 23.12.2024 होती हैं, जिससे यह स्पष्ट होता हो कि मौके पर तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्तावित कदीमी रास्ता मौके पर चलायमान अथवा मौके पर अवस्थित नहीं हो। अतः प्रथम दृष्टया न्यायालय की संतुष्टि है कि तहसीलदार सिणधरी द्वारा अपने आवेदन में प्रस्तुत इबारत अनुसार प्रस्तावित चलायमान रास्ते को राजस्व रेकर्ड में गे.मु. रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने हेतु पर बाद सुनवाई न्यायालय द्वारा तलब की गई मौका रिर्पोट के अनुसार मौके पर बारहमासी चलायमान रास्ते का उपयोग आम जन के भौतिक सुखाचार के लिए उपयोग में नहीं लिया जा रहा है, ऐसी स्थिति में रिमाण्ड प्रकरण में पक्षकारान की तलबी एवं उस पर उभयपक्ष की बहस एवं मोखिक अभिकथनों तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:12:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत मौका जांच रिपोर्ट अनुसार न्यायालय निर्णय दिनांक 11.01.2022 के सलंग्न स्वीकृत प्रस्तावित भूमि का नजरी नक्शा का भू–भाग जो मौके पर बारहमासी चलायमान रास्ता जो कि आस–पास के निवासियों के लिए आवागमन की सुगमता को परिदृशित किये जाने में अक्षमता के रूप में आम जन हेतु उपयोगी सिद्ध नहीं होने को दृष्टिगत रखते हुए गै.मु. रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने के पारित आदेश को निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

लिहाजा उपरोक्त तथ्यों के विवेचन अनुसार रिमाण्ड प्रकरण में पक्षकारान की तलबी एवं उस पर उभयपक्ष की बहस एवं मौखिक अभिकथनों तथा पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत मौका जांच रिपोर्ट अनुसार न्यायालय निर्णय दिनांक 11.01.2022 के सलंग्न स्वीकृत प्रस्तावित भूमि का नजरी नक्शा का भू–भाग जो कि आस–पास के निवासियों के लिए आवागमन की सार्थकता एवं उसकी भौतिकता को प्रमाणित नहीं करने के फलस्वरूप गै.मु. रास्ता के रूप में दर्ज प्रविष्टि को राजस्व रेकर्ड से निरस्त करते हुए पुनः सम्बधित पक्षकारान की खातेदारी में बहाल किये जाने के आदेश पारित किये जाते है।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी,रिणधरी

निर्णय आज दिनांक 13.02.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,रिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:12:10 IST
Reason: SelfAttested